

### भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

<p>14 स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>नहीं।</p>
<p>15 क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।</p>	<p>सहमत है।</p>
<p>16 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।</p>	<p>M/S EMIKE Minerals द्वारा आवेदित प्रकरण में कटंगी परिक्षेत्र सामान्य के वनकक्ष क्रमांक P-793 में आवेदित क्षेत्र 8.100 के संबंध में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रकरण में अनुशंसा की जाती है। बशर्त आवेदित क्षेत्र वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र है, अतएव "वन्यप्राणी प्रबंधन योजना" जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल से अनुमोदित हो, प्रस्तावित क्षेत्र के लिये लागू कराया जाना आवश्यक होगा।</p>

तिथि : 19 / 02 / 2021

स्थान : बालाघाट।

(नरेंद्र कुमार सनोडिया)  
भा.व.से.  
मुख्य वनसंरक्षक  
बालाघाट वनवृत्त म.प्र.